

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1263]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2016/वैशाख 30, 1938

No. 1263]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2016/VAISAKHA 30, 1938

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

का.आ. 1847(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में एतद्वारा श्रीमती प्रतिभा पारीक, अपर कलेक्टर, राजस्थान सरकार को राजस्थान में सक्षम अधिकारी के रूप में उनके मौजूदा कार्यों के अतिरिक्त गुजरात राज्य के भीतर गेल (इण्डिया) लिमिटेड की गुजरात पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिये सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने को प्राधिकृत करती है।

[फा. नं. एल-14014/31/2014-जी. पी.-II]

एस.पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016

S.O. 1847(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Central Government hereby authorizes Smt. Pratibha Pareek, Additional Collector, Government of Rajasthan to perform the functions of Competent Authority for Gujarat Pipeline Replacement Project of GAIL (India) Limited, under the said Act, within Gujarat State in addition to her existing duties as Competent Authority in the State of Rajasthan.

[F. No. L-14014/31/2014-G.P-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

2558 GI/2016